

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.1(478)एमई/ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक : 22 FEB 2022

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25.01.2022 द्वारा डॉ. शेख मोहम्मद अफजल, वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर को एम.डी. (शिशु औषध) कोर्स करने हेतु दिनांक 10.08.2020 से 09.08.2023 (03 वर्ष) तक के स्वीकृत अध्ययन अवकाश को संशोधित कर दिनांक 11.09.2020 से 10.09.2023 (03 वर्ष) तक का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

1. डॉ अफजल अध्ययन अवकाश हेतु राजस्थान सेवा नियमों के तहत निर्धारित बन्ध पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

2. आदेश दिनांक 25.01.2022 का शेष विवरण यथावत रहेगा।

आज्ञा से,
(इकबाल खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर।
5. सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित चिकित्सक शिक्षक।
8. रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव